राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2145/2025

असलम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अति0 निदेशक (प्रशासन), पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोलसाहबसर जिला सीकर।
4. सुमन ढाका, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचसी, रोलसाबसर, फतेहपुर जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2025
आदेश की दिनांक : 11.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग के ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोलसाबसर ब्लॉक फतेहपुर जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में किया गया है। उक्त आलौच्य आदेश अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समायोजित किये जाने के आशय से जारी किया गया है। उक्त आलौच्य आदेश की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर करीब 400 कि.मी. दूर स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी स्वयं अल्सर एवं लीवर की बीमारी तथा अपीलार्थी की पत्नी न्यूरो की बीमारी से ग्रसित है और अपीलार्थी एवं अपीलार्थी की पत्नी का निरंतर उपचार चल रहा है। अपीलार्थी के पिता हार्ट पेशेंट है और उनका भी निरंतर उपचार चल रहा है।

उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी अपीलार्थी पर स्वयं पर ही है। चिकित्सकीय दस्तावेज अनुलग्नक–3 एवं 4 पर उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश में किसी कार्मिक का समंजित करने के आशय से जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश को अनुचित एवं अवैध माना है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 31.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता संजीव सिंघल की तरफ से निवेदन किया गया कि आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 31.01.2025 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोलसाबसर ब्लॉक फतेहपुर जिला सीकर से मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के बीमार होने का प्रश्न है अपीलार्थी का अधिवक्ता यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि किस गंभीर Life Threatning बीमारी से ग्रसित है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां लेवे। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर अभ्यावेदन देने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 400 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य